

(घ) भारत सरकार ने सीधे विदेशी निवेश के लिए किसी विशेष राज्य का चयन नहीं किया है। निवेशक, संबंधित राज्य सरकार से पूर्वक्षेपण/खनन लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी भी राज्य में निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। विदेशी निवेशकों द्वारा चुने गए मुख्य राज्य तमिलनाडु मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश हैं।

बैलाडिया खानों को बन्द किया जाना

4392. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैलाडिया लौह अयस्क खानों में से किन-किन खानों को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 1997 में बन्द करने के आदेश दिये गये हैं;

(ख) इन खानों की पट्टा अवधि कय समाप्त हो रही है और उनमें कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को इन लौह अयस्क खानों से रॉयल्टी और अन्य करों के रूप में भुगतान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैलाडिला क्षेत्र में प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसकी सफलता का ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रमेश बैस): (क) वन क्षेत्र में गैर-वानिकी कार्यकलापों पर रोक लगाने सम्बन्धी माननीय उच्चतम न्यायालय के 1997 के आदेशों के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश सरकार ने बैलाडिला की निम्नलिखित खानों को बन्द करने के आदेश दिए थे:-

(1) बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप संख्या-14

(2) बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप संख्या-14 (गौर-खनिज क्षेत्र) अर्थात् -11/सी का एक भाग।

(3) बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप संख्या-5 ये खानें 27.2.1997 से 19.3.1997 तक बन्द रहीं।

(ख) इन खानों की पट्टा अवधि समाप्त होने की तारीखें निम्न प्रकार हैं:-

	पट्टे का नाम	समाप्ति की तारीख	30.4.98 की स्थिति के अनुसार सूची में नियमित श्रमिक
1	निक्षेप संख्या-14	11.9.95	1610
2	निक्षेप संख्या-14 (गौर खनिज क्षेत्र) अर्थात् बैलाडिया निक्षेप-11/सी का एक भाग	06.12.95	
3	निक्षेप संख्या-5	11.9.95	1614

(ग) गत तीन वर्षों के लिए इन खानों से मध्य प्रदेश सरकार को दी गई रॉयल्टी और बिक्री-कर की राशि नीचे दी गई है:-

(लाख रुपए)

वर्ष	रॉयल्टी	मध्य प्रदेश बिक्री-कर
1995-96	1,621	24
1996-97	1,826	38
1997-98	1,542	63

(ङ) बैलाडिला क्षेत्र में एन,एम,डी,सी, द्वारा किए गए प्रतिपूरक वनरोपण का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(1) प्रापम्भ से लेकर 31.3.1998 तक रोपित वृक्षों की संख्या	14.46 लाख
(2) किया गया व्यय	2.90 करोड़ रु
(3) उत्तर जीविता दर	90 प्रतिशत

Schools under Management of Bokaro Steel Limited

4393. SHRI BRATIN SENGUPTA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Hindi medium schools following Bihar syllabus giving free education according to NJCS Agreement are being changed into English medium following CBSE course charging fees by the management of Bokaro Steel Limited;

(b) if so, the details thereof and the names of Sudi schools convicted and justification of violation of NJCS Agreement; and

(c) whether a change from Hindi to English is according to the policy of SAIL?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI